


<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज  <b>सुनील पारीक बनाम लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, लूणी)</b>  सू.अ.अपील संख्या 117/2023</p>	<p>ने दि तारीख  अहकाम जो  इस हुक्म की  तामील में  जारी हुए</p>
<p>04.08.23</p>	<p>अपीलार्थी सुनील पारीक निवासी सेक्टर एच, हाउस न. 31, शास्त्री नगर, वार्ड न. 50, जोधपुर (राज.) ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 03.03.2023 में अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर के पत्र क्रमांक राजस्व/2023/563-597 दिनांक 08.02.2023 पर उपखण्ड अधिकारी, लूणी द्वारा जिला कलक्टर, जोधपुर को प्रेषित अध्यतन आधिकारिक अनुपालना रिपोर्ट की सम्पूर्ण प्रति की प्रतिलिपि, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, लूणी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">   (हिमान्शु गुप्ता)  जिला कलक्टर जोधपुर  <b>जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)</b> </p>	<p>ने दि तारीख  अहकाम जो  इस हुक्म की  तामील में  जारी हुए</p>